(13)

(24)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : आर0के0 मिश्रा
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 4240–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–06–13 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 675/अपील/2012–13.

1. गंगा प्रसाद तिवारी तनय स्व0 श्यामसुन्दर तिवारी
2. राजभान तिवारी तनय स्व0 श्यामसुन्दर तिवारी
3. रमेश प्रसाद तिवारी तनय स्व0 श्यामसुन्दर तिवारी
4. महेश प्रसाद तिवारी तनय स्व0 श्यामसुन्दर तिवारी
निवासी ग्राम वठिया खुर्द तहसील रघुराजनगर
जिला सतन म0प्र0प

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मे0 विरला कार्पोरेशन लिमिटेड सीमेंट
डिवीजन सतना सीमेंट वर्कस सतना म0प्र0
जरिये प्रबंधक में. विला कार्पोरेशन लिमि0 सीमेंट
डिवीजन सतना वर्कस सतना म0प्र0

.....अनावेदक

श्री राजेन्द्र पाण्डेय, अभिषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/02/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण ने तहसीलदार रघुराजनगर के प्रकरण कमांक 16/अ–6–अ/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–9–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अनुविीागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25–3–13 को अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने

आदेश दिनांक 25–6–13 से अपील अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों का अर्जन कलेक्टर ने 08–4–58 के द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भू–अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजा भी आवेदकगण के पिता द्वारा प्राप्त कर लिया गया। ऐसी स्थिति में आवेदकगण का कोई हक प्रश्नधीन भूमि पर नहीं रह गया था। इसी कारण तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया है। संहिता की धारा 115–116 के अन्तर्गत एक साल के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इसी कारण अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी के त्रुटिपूर्ण आदेश को निरस्त कर तहसीलदार के आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 25–6–13 स्थिर रखा जाता है।

4/2/19

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर